न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री हीरालाल मीना, आ.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 84 / 2017

प्रार्थी :– सरकार जरिये तहसीलदार मेड़ता

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. रामलाल पुत्र श्री प्रभुराम कौम जाट सा. खाखडकी
2. मूलाराम पुत्र श्री पूनाराम कौम जाट सा. खाखडकी
3. रामचन्द्र पुत्र श्री अमूराम कौम जाट सा. खाखडकी

*प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा भू–राजस्व (भू–अधिनियम) नियम 1957 का नियम 58, 59, 60, 66, 86 एवं भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132, 136 के अन्तर्गत*

*निर्णय* *दिनांक :–06.10.2017*

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार मेड़ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा भू–राजस्व (भू–अधिनियम) नियम 1957 का नियम 58, 59, 60, 66, 86 एवं भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132, 136 के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया कि राजस्थान सरकार राजस्व(ग्रुप 6) विभाग के परिपत्र संख्या प–3(2)राज–6 / 2003 / पार्ट दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में भू–राजस्व अधिनियम की धारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा भू–राजस्व (भू–अधिनियम) नियम 1957 का नियम 58, 59, 60, 66, 86 एवं भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132, 136 के अन्तर्गत निवेदन है कि तहसील क्षेत्र मेड़ता के पटवार मण्डल खाखड़की के राजस्व ग्राम खाखड़की सरहद में गै.मु. नाड़ी से सरहद इन्दावड़ तक वर्षो से चल रहे कदिमी रास्ता/निजी खातेदारी भूमि से/राजकीय भूमि से रास्ता स्थाई रूप से चालु है। जिसमें क्रमशः निम्न व्यक्तियों की खातेदारी भूमि में से यह रास्ता बारहमासी चलता है किन्तु राजस्व रेकर्ड में अंकित नही.है। जिस पर डामर सड़क/मुडिया सड़क भी बनी हुई है। इस रास्ते को राजस्व रेकर्ड में अंकन करना आवश्यक है।

ण्ड अधिकारी
ड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

| क्र.स. | नाम खातेदार | खसरा नम्बर | रकबा | किस्म | रास्ते में प्रभावित भूमि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रामलाल पुत्र प्रभूराम कोम जाट सा खाखडकी | 36 | 2.89 | बा–2 | 0.05 |
| 2 | मूलाराम पुत्र पूनाराम कोम जाट सा खाखडकी | 35 | 2.28 | बा–3 | 0.05 |
| 3. | रामचन्द्र पुत्र अमूराम कोम जाट सा खाखडकी | 34 | 6.18 | बा–2 | 0.09 |

इस रास्ते को रेकर्ड मे अंकन हेतु करना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु मय भू–अभिलेख निरीक्षक बडगांव की रिपोर्ट व पटवारी खाखडकी की रिपोर्ट प्रस्तुत है। उक्त खसरा नम्बर का प्रभावित रकबा संलग्न नक्शा अनुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ते के अंकन के लिये पी–31 की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त रास्तों को राजस्व रेकर्ड में अंकन करवाने की कार्यवाही करने की कृपा कराते हुए तरमीम के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाबदेही तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि खसरा नम्बर 35 के पूर्व की तरफ खेतों में आने–जाने हेतु रास्ता मौजूद है। जो रास्ता अप्रार्थी कभी बंद नही करेगा। मगर रास्ते की बताई गई खाते में से 0.05 हैक्टेयर भूमि रास्ते के नाम नही करे। रास्ता बंद नही रहेगा, खातेदारी अप्रार्थी के नाम रखी जावें। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से दिनांक 28.03.2017 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैरसायलान द्वारा जो आपत्ति पेश की है। उसमें खातेदारी अप्रार्थी के नाम ही रखी जाने का निवेदन किया है। रास्ता कदिमी है जिससे रास्ता घोषित किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है।

## आदेश

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार रास्ता घोषित किया जाता है। खातेदारी खातेदार की ही रहेगी परन्तु किस्म गै.मु. रास्ता रहेगा।

...खण्ड अधिकारी
...ड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

| क्र.स. | नाम खातेदार | खसरा नम्बर | रकबा | किस्म | रास्ते में प्रभावित भूमि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रामलाल पुत्र प्रभूराम कोम जाट सा खारबडकी | 36 | 2.89 | बा-2 | 0.05 |
| 2 | मूलाराम पुत्र पूनाराम कोम जाट सा खारबडकी | 35 | 2.28 | बा-3 | 0.05 |
| 3 | रामचन्द्र पुत्र अमूराम कोम जाट सा खारबडकी | 34 | 6.18 | बा-2 | 0.09 |

तहसीलदार मेडता यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड मे अंकन कर नियमानुसार नक्शे में बाद जांच तरमीम करना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हीरालाल मीना
उपखण्ड अधिकारी
मेडता

Scanned by CamScanner